

क्या भाजपा नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को बैलैंस कर लेगा पंकज चौधरी को यूपी में प्रदेश अध्यक्ष बनाकर?

भाजपा अब हर राजनीतिक निर्णय यू.पी. में वर्ष 2027 में होने वाले चुनाव को मद्देनज़र रखकर ले रही है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का नया भाजपा अध्यक्ष नियुक्त करने के फैसले को राजनीतिक हलकों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए सोच-समझकर दिया गया संकेत और राज्य के लिए केन्द्रीय नेतृत्व की दीर्घकालिक चुनावी व संगठनात्मक योजना का हिस्सा माना जा रहा है।

भाजपा के वरिष्ठ सूत्रों का कहना है कि यह कदम इस बात को रेखांकित करता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव की रणनीति को काफी पहले से आकार देने को लेकर दृढ़ हैं, और योगी आदित्यनाथ को समय से पहले पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने के पक्ष में नहीं है।

उनके अनुसार, यह नियुक्ति देश के सबसे अहम चुनावी राज्य में "सत्ता-केन्द्रों के पुनर्सन्तुलन" को साधने का

- **क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा था, जितना भाजपा आशा कर रही थी। इन नतीजों के कारण ही केन्द्र में सरकार बनाने के लिए भाजपा को अन्य सहयोगी दलों पर निर्भर होना पड़ा था।**

- **अब भाजपा अगले चुनाव में उस स्थिति की पुनरावृति नहीं होने देना चाहती है।**

एक सोचा-समझा प्रयास है।

उत्तर प्रदेश से सात बार सांसद रहे और प्रभावशाली कुर्मी समुदाय के प्रमुख नेता पंकज चौधरी के पास संगठनात्मक अनुभव के साथ-साथ, मजबूत सामाजिक आधार भी है।

उनकी पदोन्नति को ऐसे समय में गैर-यादव ओबीसी समर्थन को मजबूत करने के संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की राजनीति को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाकर अपने सामाजिक गठजोड़ को विस्तार देने की

कोशिश कर रहे हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि पंकज चौधरी को योगी आदित्यनाथ के निकटवर्ती राजनैतिक गुट का हिस्सा नहीं माना जाता। भाजपा के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि उनके चयन का यही एक अहम कारण था। केन्द्रीय नेतृत्व योगी की उन जानी-पहचानी असहजताओं को भी ध्यान में रखे हुए था, जो उन्हें उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जैसे नेताओं से रहती हैं, जिनकी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पकड़ है। चौधरी को चुनकर पार्टी ने ऐसा चेहरा चुना है, जो दिल्ली को स्वीकार्य है,

लेकिन मुख्यमंत्री की प्रशासनिक सत्ता के लिए चुनौती भी नहीं है। पर्यवेक्षक इसमें पूर्वी भारत से जुड़ी एक व्यापक रणनीति भी देख रहे हैं। कुर्मी फैक्टर न सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बल्कि पड़ोसी बिहार में भी अहम है, जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस समुदाय पर अब भी काफी प्रभाव है। भाजपा रणनीतिकारों का मानना ​​है कि चौधरी की नियुक्ति से नीतीश के उस प्रभाव को कम किया जा सकता है और इस प्रकार बिहार में पार्टी की रणनीति के साथ यूपी के पूर्वी जिलों का बेहतर तालमेल में बिठाया जा सकता है।

राज्य की राजनीति से आगे, इस कदम को मोदी- दौरे के बाद, भाजपा में उनके उत्तराधिकार को लेकर चल रही आंतरिक हलचल के बड़े संदर्भ में भी देखा जा रहा है। फिलहाल, शीर्ष नेतृत्व का संदेश साफ ​​है: उत्तर प्रदेश भाजपा की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के केन्द्र में रहेगा, और हर संगठनात्मक फैसला 2027, और उसके आगे के समय को पूरी तरह ध्यान में रखकर लिया जाएगा।

पंकज चौधरी यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष बने

लखनऊ, 13 दिसंबर। केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष पद के लिये एकमात्र उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके प्रस्तावक बने। चौधरी के अध्यक्ष पर पर चुने जाने का औपचारिक ऐलान रविवार दोपहर किये जाने की संभावना है। वह निर्वतमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी का स्थान लेंगे।

चौधरी अध्यक्ष पद के इकलौते उम्मीदवार है जिन्होंने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में चार सेट में इस पद के लिए

- **मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके प्रस्तावक बने।**

अपना नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक, निवर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, चौधरी के नामांकन पत्रों में प्रस्तावक बने। चौधरी ने प्रस्तावकों की मौजूदगी में चुनाव अधिकारी महेंद्र नाथ पांडे और विनोद तावड़े को नामांकन पत्र सौंपे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाने वाले चौधरी का इस पद पर चुना जाना तय है, जिसकी औपचारिक घोषणा रविवार दोपहर को की जाएगी। (शेष पृष्ठ 4 पर)

आज सोनिया गांधी कर्नाटक के मु.मंत्री के पद की गुत्थी पर अपना निर्णय देंगी?

रामलीला मैदान पर आयोजित कांग्रेस की विशाल रैली के बाद मु.मंत्री सिद्धारमैया व उनके प्रतिद्वंदी उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, सोनिया गांधी से मिलेंगे

- जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 दिसंबर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार 14 दिसंबर को नई दिल्ली में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से मिलेंगे। सूत्रों ने बताया, इस बैठ का संबंध कर्नाटक में राज्य के शीर्ष पद को लेकर जारी नेतृत्व विवाद से हो सकता है।

यह बैठक रामलीला मैला मैदान में आयोजित होने वाली कांग्रेस की मेगा रैली के तुरंत बाद तय की गई है। यह रैली पार्टी के “बोट चोर, गद्दी छोड़” अभियान का हिस्सा है। इस अभियान से परिचित लोगों ने बताया कि इसमें भाजपा और चुनाव आयोग के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया गया है।

यह प्रकरण कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान के कुछ हफ्तों बाद पुनः सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कर्नाटक में जो “भ्रम” व्याप्त है, उसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और वे खुद मिलकर

- **कुछ समय पूर्व कांग्रेसअध्यक्ष खड़गे, सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि उनकी मौजूदगी में समझौता हुआ था कि मु.मंत्री पद सिद्धारमैया व शिवकुमार के बीच ढाई-ढाई साल के लिए बांटा जाएगा। अतः अब अगर शिवकुमार को ढाई साल बाद मु.मंत्री नहीं बनाया गया तो उनकी (खड़गे की) विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी।**

- **पार्टी के विधायकों में भी चर्चा जोरों से चल रही है कि शिवकुमार शीघ्र ही मु.मंत्री पद की शपथ लेंगे, विधानसभा का वर्तमान सत्र समाप्त होते ही।**

सुलझाएँगे। खड़गे के इस बयान से इस मामले में उच्च स्तरीय हस्तक्षेप की संभावना के संकेत मिले थे। उन्होंने यह भी कहा था कि मुख्यमंत्री पद को साझा करने का समझौता उनके सामने हुआ था, इसलिए यदि शिवकुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी।

इस बीच, कर्नाटक कांग्रेस में नई अटकलें सामने आई हैं, क्योंकि नेतृत्व विवाद की चर्चा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक पार्टी विधायक ने खुले

तौर पर दावा किया कि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार कर्नाटक विधानसभा के बेलगावी सत्र के बाद मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। इन टिप्पणियों ने सत्ताधारी पार्टी के भीतर पहले से ही संवेदनशील हो चुके इस मुद्दे को फिर से खड़ा कर दिया है।

रामनगर के कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने शुरुवार को सुर्वण विधाना सौधा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह दावा किया था। उन्होंने (शेष पृष्ठ 4 पर)

मनरेगा हुआ खत्म, उसकी जगह आएगी पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और सरकार अगले सप्ताह यह बिल लाना चाहती है

- श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 दिसंबर। मनरेगा हुआ खत्म और अब उसकी जगह “पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी” (पीबीजीआरजी) योजना लायी जा रही है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एक नए कानून को मंजूरी दी है, जिसमें प्रत्येक घराने को 100 कार्यदिवसों की बजाय 125 कार्यदिवसों की गारंटी दी जाएगी। केन्द्रीय सरकार अगले सप्ताह लोकसभा में पीबीजीआरजी बिल पेश करना चाहती है। इस योजना में केन्द्र की हिस्सेदारी 95,600 करोड़ निधिारित की गई है।

मनरेगा में इस बदलाव का एक स्पष्ट राजनीतिक पहलु भी है, क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में

- **95,600 करोड़ की इस योजना में प्रत्येक परिवार को 100 की जगह 125 कार्य दिवस की रोजगार गारंटी दी जाएगी।**

- **इस बदलाव के राजनीतिक पहलू भी हैं, जिसमें प्रमुख हैं, पश्चिम बंगाल के होने वाले विधानसभा चुनाव। पश्चिम बंगाल सरकार हमेशा से केन्द्र सरकार पर मनरेगा का फंड नहीं देने का आरोप लगाती रही है, वहीं केन्द्र सरकार का आरोप है कि तृणमूल सरकार मनरेगा फंड में गड़बड़ी कर रही है।**

- 14-लेकिन, सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक पहलू है, मनरेगा पर कांग्रेस का दावा। कांग्रेस से यह क्रेडिट छीनने के लिए केन्द्र सरकार ने न केवल मनरेगा का नाम बदल दिया, बल्कि इसका दायरा भी बढ़ा दिया है।

विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

जस्टिस शैल जैन इंडिगो केस की सुनवाई नहीं करेंगे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर। इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, जो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का संचालन करती है, ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है,

- **जस्टिस शैल जैन ने खंडपीठ से नाम वापस ले लिया, जो इंडिगो केस की सुनवाई कर रही थी, क्योंकि जस्टिस जैन का बेटा इंडिगो में पायलट है।**

जिसमें उसने विमान के इंजन और पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी के रूप में अदा किये गये 900 करोड़ रुपये से अधिक की वापसी की मांग की है। ये इंजन और पार्ट्स विदेश में मरम्मत के बाद फिर से भारत में आयात किए गए थे।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

‘मोटी तन्ख्वाह के बावजूद भी पायलट कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं’ दिल्ली हाई कोर्ट ने किंग एयरवेज़ की अपील खारिज कर करते हुए कहा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि एयरलाइन पायलट, जिसमें पायलट-इन- कमांड भी शामिल हैं, औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत “कर्मचारी” की परिभाषा में आते हैं। कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि उनकी भूमिका तकनीकी और संचालनात्मक रूप से विमान उड़ाने से संबंधित है, न कि प्रबंधकीय या पर्यवेक्षी कार्य से।

कोर्ट ने पाया कि पदनाम, उड़ानों के दौरान कमांड की जिम्मेदारियाँ, या उच्च वेतन पायलटों को श्रम कानून सुरक्षा से बाहर नहीं कर सकते हैं।

न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर को खंडपीठ ने किंग एयरवेज़ द्वारा अपने पूर्व पायलटों, जिनमें कप्तान प्रीतम सिंह, मंजीत सिंह और एनडी कथूरिया शामिल थे, के खिलाफ दायर की गई लैटर्स पेटेंट अपीलों का निपटारा करते हुए यह निर्णय दिया।

- **एयरलाइन ने अपनी अपील में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें पायलटों को रूका हुआ वेतन देने, अतिरिक्त फ्लाइट्स आवर्स के लिए विशेष भत्ता व अन्य भुगतान देने के आदेश दिए थे।**

- **किंग एयरवेज़ ने इस आदेश के विरुद्ध अपील में कहा कि पायलट को बहुत अच्छा वेतन मिलता है और वह फ्लाइट का इंचार्ज होता है और पर्यवेक्षण करता है।**

- **पर, अदालत ने अपील खारिज कर दी और कहा, पायलट का क़ू पर कोई नियंत्रण नहीं होता है और इंडस्ट्रियल डिस्क्र्यू एक्ट के तहत वह “कर्मचारी” की श्रेणी में आता है।**

एयरलाइन ने पहले के आदेशों को चुनौती दी थी, जिनमें पायलटों को रूका हुआ वेतन देने, अतिरिक्त उड़ान घंटों के लिए इमैरेंटिव और संबंधित बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने शुरुआत में ही यह स्पष्ट निष्कर्ष दिया था कि “कर्तव्यों की प्रमुख प्रकृति” का परीक्षण ही निर्णायक होगा। कोर्ट ने कहा कि हालांकि एक

पायलट-इन-कमांड को सिद्धांत रूप में उड़ान का प्रभारी माना जा सकता है, लेकिन रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से यह साबित हुआ कि पायलट कू के ऊपर औद्योगिक या प्रशासनिक दृष्टिकोण से पर्यवेक्षीय या प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं रखते हैं। खंडपीठ ने यह माना कि उनका मुख्य कार्य विमान को चलाने का तकनीकी और कुशल कार्य है।

कोर्ट ने एयरलाइन के इस तर्क को खारिज कर दिया कि पायलट “कर्मचारी” की परिभाषा से बाहर हैं क्योंकि उनका वेतन बहुत अधिक है या उन्हें वरिष्ठ कमांडर के रूप में नामित किया गया है, कोर्ट ने कहा कि वेतन का स्तर केवल तभी प्रासंगिक होता है जब यह साबित किया जाए कि कर्मचारी वास्तव में पर्यवेक्षण का काम कर रहा है।

यदि यह प्रमाण नहीं मिलता कि पायलट वास्तव में पर्यवेक्षी कार्य कर रहे हैं, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(एस) (चार) के तहत उन्हें कर्मचारी के दायरे से बाहर किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

खंडपीठ ने किंग एयरवेज़ द्वारा विमानन नियमों और आंतरिक संचालन मैनुअल्स पर निर्भरता की भी जांच की, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि पायलट कू के सदस्य का पर्यवेक्षण करते हैं। कोर्ट ने कहा कि विमानन नियमों में कोई भी पर्यवेक्षण उड़ान (शेष पृष्ठ 4 पर)

अपने गढ़ में कांग्रेस की हार पर भाजपा को बधाई दी थरूर ने

तिरुवनंतपुरम, 13 दिसंबर। केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर के मिजाज बीते कुछ वक्त से बदले-बदले से नजर आ रहे हैं। पार्टी

- **केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में थरूर के क्षेत्र तिरुवनंतपुरम में भाजपा को अच्छी सफलता मिली है, जबकि कांग्रेस हार गई।**

आलाकमान की बैठकों से दूरी और भाजपा से नजदीकी इस बात की तस्दीक है कि थरूर के मन के अंदर कुछ तो चल रहा है। एक दिन पहले जहां उन्होंने कोलकाता के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस लोकसभा सांसदों की बैठक (शेष पृष्ठ 4 पर)